

राजस्थान सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/2021/पार्ट-5/

दिनांक:

आदेश  
(नियुक्ति आदेश संख्या-03)

इस कार्यालय के पत्रांक: प.1/प्रति.3/न.क./भर्ती/2021/8172-73 (01 एवं 02) दिनांक 17.06.2021 के द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2021 एवं 02/2021 के अन्तर्गत डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त अंतरिम वरीयता सूची एवं संशोधित वरियता सूची के अन्तर्गत निम्नांकित आशार्थियों को कम्पाउन्डर/नर्स जूनियर ग्रेड पे मेट्रिक्स एल-10 में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रु. 23700/- (अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ रूपये मात्र) पर निम्न शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में किया जाता है :-

क्र.स	वरियता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	संवर्ग	चयन संवर्ग	पदस्थापन स्थान
1	576	KAVITA KUMARI GURJAR	KISHAN LAL	06-11-1996	female	MBC(NC)	MBC-30	गुडली (मावली), उदयपुर

- इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 10694 दिनांक 24.05.2022 द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में क्रम संख्या 295 वरीयता क्रमांक 576 पर पर अंकित अभ्यर्थियां कविता कुमारी गुर्जर को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थियां कविता कुमारी गुर्जर के दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र में अपराध मुकदमा दर्ज होना पाया गया। उक्त के तहत कार्यालय के आदेश क्रमांक 12872 दिनांक 05.07.2022 के द्वारा अभ्यर्थियां कविता कुमारी गुर्जर की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। अभ्यर्थियां कविता कुमारी गुर्जर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 6292/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 द्वारा अभ्यर्थियां के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को खारिज कर दिया गया। अभ्यर्थियां कविता कुमारी गुर्जर द्वारा क्रमांक 3383629 दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रस्तुत नवीन पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र सही पाये जाने के आधार पर पुनः नवीन नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है।

**नोट:-**

1. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर पीठ द्वारा एस.बी.सिविल. रिट पिटीशन संख्या 14828/2021, 14937/2021, 1456/2021, 7552/2021, 7565/2021, 16830/2021, 1771/2022, में पारित होने वाले आगामी आदेश या अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. रिट संख्या 1330/2022 के साथ Attached 2622/2022, 2703/2022, 16830/2021, 16747/2021, 17642/2021, 17652/2021, 6987/2022, 501/2022, 13574/2021, 16789/2021, 14382/2021, 6913/2021, 7851/2021 9409/2021, 3210/2022, 16633/2021, 15672/2021 के क्रम में वरियता क्रमांक-सामान्य 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 28, 29, 33, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 49, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 68, 76, 77, 84, 86, 88, 98, 99, 116 एवं एमबीसी-1 के अभ्यर्थियों एवं नवीन जोड़े गये श्री अजीज मोहम्मद/अल्लाह नूर, शिम्पू भाटी/वीरेन्द्र सिंह, अंजना कुमारी/जयप्रकाश के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश रोके गये हैं, किन्तु वरियता क्रमांक 1, 2, 5, 17, 23 एवं 96 के अभ्यर्थियों के मूल प्राप्तांक (बोनस अंक जोड़े बिना) सम्बन्धित आशार्थी के संवर्ग की कटऑफ से अधिक होने के कारण इनके नियुक्ति/पदस्थापन आदेश सामान्य श्रेणी से हटाकर सम्बन्धित श्रेणी में किये गये हैं। शेष रहे अभ्यर्थियों के संबंध में उक्त याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ये सभी चयन उक्त याचिकाओं के अध्यधीन रहेंगे।
3. वरीयता सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख Subject to verification लिखा हुआ है, उन अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर इनके डिप्लोमा के सत्यापन के पश्चात् यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी।
4. वरीयता सूची में जिन अभ्यर्थियों के परिणाम माननीय न्यायालय के आदेशानुसार रोके गये हैं तथा जिनका उल्लेख दिनांक 16.05.2022 को जारी अंतरिम वरियता सूची में भी किया गया है उनकी नियुक्ति पर माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय पश्चात् विचार किया जायेगा।
5. क्र.सं. 16 पर चयनित अभ्यर्थी लियाकत अली का चयन माननीय न्यायालय में दायर डी.बी.स्पेशल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
6. जिन अभ्यर्थियों के नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित थे, उनके नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख है कि कटऑफ से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदनाएँ प्रस्तुत किये जाने पर कमेटी की बैठक दिनांक 19.05.2022 में इन परिवेदनाओं पर विचार विमर्श कर अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन रोके गये हैं।

132

शर्तों/निर्देश:-

- उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी उपस्थिति सम्बन्धित उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, कार्यालय में आवश्यक रूप से देंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
- उपस्थिति के समय निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र:-

1. माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका।	14. अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश की प्रति।
2. उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका।	15. विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को कार्यग्रहण करते समय पुनर्विवाह नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र। (रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) नोटरी से प्रमाणित।
3. नर्सिंग डिप्लोमा की अंक तालिकायें।	16. विभागीय कर्मचारी होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश की प्रति।
4. बी.एस.सी.नर्सिंग की अंक तालिकायें।	17. तलाकशुदा अभ्यर्थियों की कोर्ट डिक्री (विज्ञापन के अनुसार)
5. इन्टरशिप प्रमाण पत्र।	18. अन्य दस्तावेज-आधार कार्ड, मूल निवास, की फोटो प्रति।
6. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति। (विज्ञापन में अंकित प्रारूप में)	19. शपथ पत्र (रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) नोटरी से प्रमाणित
7. राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद का पंजियन प्रमाण पत्र। (अनिवार्य दस्तावेज)	20. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (Persons With Disabilities) प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
8. सक्षम स्तर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी/मेडिकल ज्यूरिस्ट)।	21. उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
9. पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट।	22. भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
10. धूम्रपान सम्बन्धित शपथ पत्र की मूल प्रति।	23. अन्य कोई दस्तावेज जो फॉर्म के साथ संलग्न किये गये हो।
11. दहेज सम्बन्धी शपथ पत्र की मूल प्रति।	
12. संतान वचन पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) 01.06.2002 से पूर्व संतान की संख्या:- 01.06.2002 के बाद संतान की संख्या:- कुल:-	
13. जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति (विज्ञापन के अनुसार)।	

- अभ्यर्थी कार्यग्रहण करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से कभी भी पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डक कार्यवाही का भागी होगा।

(डॉ.आनन्द कुमार शर्मा)  
निदेशक

दिनांक: 2-11-2022

क्रमांक: प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/2021/पार्ट-5/19287  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सचिव, माननीय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्री महोदय, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान-जयपुर।
- उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान-जयपुर।
- कुल सचिव, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
- अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, उदयपुर।
- उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, उदयपुर को दी जाकर निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि:-
  - आप अपने स्तर से तीन अधिकारियों/कर्मचारियों की कमेटी गठन करावें।
  - गठित कमेटी आपके अधीन नियुक्त किये गये नर्स/कम्पाउण्डर कनिष्ठ ग्रेड से कार्यग्रहण के समय आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर संलग्न प्रपत्र की पूर्ति करेगी।
  - अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की कमेटी से जांच/परिक्षण उपरान्त ही नियमानुसार कार्यग्रहण करावें एवं दो फोटोप्रति का सैट संबंधित अभ्यर्थी से प्राप्त किया जावें।
  - निःशक्तजन श्रेणी में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तजन की जांच मेडिकल बोर्ड से करायी जाकर ही ड्यूटी ज्वोईन कराना सुनिश्चित करें।
- प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को वास्ते वेबसाईट अपलोड।
- संबंधित आशार्थी को द्वारा:- विभागीय वेबसाईट।
- सामान्य पत्रावली।

(डॉ.मोहन सिंह मीणा)  
सहायक निदेशक